न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/8570/2006/करौली

1. हरेती
2. परेसी
3. गिन्नी
4. मोहरा

पुत्रान जिन्सी, जाति कुम्हार, निवासी एदलपुर, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

5. सिंगारी पुत्री जिन्सी, जाति कुम्हार, निवासी एदलपुर, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

6. शिवलाल
7. रतनलाल
8. श्रीमन
9. सुदामा

पुत्रान झूत्या, जाति कुम्हार, निवासी एदलपुर, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

10. महावीरा पुत्र भोरिया निवासी एदलपुर, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. किरोडी पुत्र मूल्या
2. भंजन पुत्र फूल्या
3. कमल पुत्र झीवली
4. पृथ्वीराज पुत्र मांग्या

जाति मीणा, निवासीगण मान्नौज, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सी0पी0 शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री एन0के0 गोयल, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः –04.07.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 244/2006 शीर्षक किरोडी बनाम हरेती में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा उप खण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी के न्यायालय के समक्ष दखलयाबी का वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम एदलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 14 बीघा, 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1/1 के पति व 1/2 के

पिता मूल्या खसरा नम्बर 1036 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 1153 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 खसरा नम्बर 1035 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादी संख्या 5 खसरा नम्बर 1154 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम मान्नोज का खातेदार काश्तकार है। ग्राम एदलपुर व ग्राम मान्नोज की सरहद मिली हुई है, वादीगण के खसरा नम्बर 15 व 71 ऐदलपुर में सरहद पर स्थित है तथा प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 1036, 1153, 1035 व 1154 ग्राम मान्नोज के सरहद पर स्थित है। प्रतिवादीगण ने जुलाई सन् 1975 में वादीगण के खसरा नम्बर 15 व 71 ऐदलपुर पर जबरन अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 15 के उत्तरी भाग की 2 गठ्ठा जमीन व खसरा नम्बर 71 की पूरी 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। तहसीलदार, टोडाभीम ने दिनांक 18–12–1975 को दोनों गॉवों के पटवारियों, गिरदावर व सरपंच की उपस्थिति में मौका पैमाइश कर उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वादपत्र में अनुतोष चाहा गया कि दावा वादी डिक्री कर भूमि रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जो वादपत्र में संलग्न नक्शे में डौटेड लाईन से बताई गई है, दखलयाबी की डिक्री प्रदान की जाये। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद से असहमति जाहिर की। उप जिला कलक्टर, टोडाभीम ने निर्णय दिनांक 7–10–2006 से दावा वादी इस आशय का डिक्री किया कि ग्राम एदलपुर की आराजी खसरा नम्बर साबिक 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व 15 रकबा 14 बीघा से बने हाल खसरा नम्बर 63 के तरफ उत्तर में 50 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चोडाई व साबिक खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 159/0.12, 160/0.14, 161/0.21 किता 3 रकबा 47 एअर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिया जाये। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 30.11.2006 से अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया, उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–वादी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। ग्राम एदलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 14 बीघा, 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के वादीगण/अपीलार्थी खातेदार काश्तकार हैं, ग्राम एदलपुर व ग्राम मान्नोज की सरहद मिली हुई है। प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1036 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1153 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1035 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1154 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम मान्नोज के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नम्बर

15 व 71 ऐदलपुर पर जबरन अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 15 के उत्तरी भाग की 2 गठ्ठा जमीन व खसरा नम्बर 71 की पूरी 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। तहसीलदार, टोडाभीम ने दिनांक 18–12–1975 को दोनों गॉवों के पटवारियों, गिरदावर व सरपंच की उपस्थिति में मौका पैमाइश कर उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे भी प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी पर अतिचार होने की पुष्टि होती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें भी तनकी संख्या–1 में वादीगण का नाम रिकार्ड में खातेदारी में होना स्वीकार किया है। अपने निर्णय में गलत प्रकार से अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी की पैमाइश राजस्व कर्मियों को साथ ले जा कर नहीं की गई है जब कि दोनों गॉवों के पटवारियों, गिरदावर व सरपंच की उपस्थिति में मौका पैमाइश की गई है और इस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं रही है। सैटलमैण्ट कर्मियों को साथ नहीं ले जाने का अंकन गलत प्रकार से किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने गलत प्रकार से दो गॉवों की सीमाओं का विवाद होना निर्णय में अंकित किया है जब कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के गलत प्रकार से किए गए कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में रहा है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उनसे वादीगण का वाद बखूबी साबित होता है और परीक्षण न्यायालय ने रिकार्ड के आधार पर ही वाद को डिक्री किया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये

5– रैस्पो0/प्रतिवादीगण पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसके भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बरान 159/12 एअर, 160/14 एअर, 161/21 एअर कुल रकबा 47 एअर प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के समय से विधिक कब्जा काश्त है। साबिक नम्बरों से बने हाल नम्बरान को ग्राम एदलपुर के तन में गलती से लिख दिया गया है। यह आराजी प्रतिवादीगण के साबिक नम्बरान 1033, 1036, 1153 एवं खसरा नम्बर 1154 वाके ग्राम मान्नोज में मिली हुई है। वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा का जो नामांतरकरण संख्या 20 भरा गया है वह धारा 15 के तहत पटवारी द्वारा भरा गया है, जब कि धारा 15 के तहत तहसीलदार आदेश हेतु सक्षम नहीं है। सक्षम न्यायालय के सक्षम वादपत्र प्रस्तुत कर के ही धारा 15 या 19 के तहत घोषणा कराई जा सकती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर 1975 के पूर्व का वादीगण का कब्जा मानने में विधिक भूल की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि जहॉ दो ग्रमों की सीमाओं का मामला हो वहॉ तहसीलदार अपने स्तर पर बिना सैटलमैंट टीम के व बिना कलक्टर के आदेश के इस प्रकार से पैमाइश करने के लिए सक्षम नहीं है। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी दो

गॉवों की सीमाओं का विवाद केवल जिला कलक्टर अपने स्तर से भू प्रबन्ध की टीम से पैमाइश कराने हेतु सक्षम है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा अविधिक रुप से वादी के वाद को डिक्री किया था और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से प्रतिवादीगण की अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीगण–अपीलार्थीगण ने वादपत्र में मुख्य रुप से यही उज्र लिया है कि ग्राम एदलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 14 बीघा, 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के वादीगण/अपीलार्थी खातेदार काश्तकार हैं, ग्राम एदलपुर व ग्राम मान्नोज की सरहद मिली हुई है। प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1036 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1153 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1035 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1154 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम मान्नोज के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा नम्बर 15 व 71 ऐदलपुर पर जबरन अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 15 के उत्तरी भाग की 2 गठ्ठा जमीन व खसरा नम्बर 71 की पूरी 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध दखलयाबी की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि मुताबिक नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013–15 के अनुसार खसरा नम्बर 71 सिवाय चक अंकित हो कर काश्त भौरया एवं मूल्या पुत्र भौरया अंकित है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 में खसरा नम्बर 71 सिवाय चक लगानी अंकित है। खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में जो नामांतरकरण संख्या 20 स्वीकृत किया गया है वह धारा 15 के तहत भौरया पुत्र जिन्सी के नाम स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 71 पूर्व में राजकीय सिवाय चक भूमि अंकित रही है और वादीगण के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 29–08–1962 नायब तहसीलदार, टोडाभीम द्वारा अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वीकृत किया गया है। प्रावधानों के अनुसार धारा 15 या 19 के तहत केवल सक्षम न्यायालय में वाद के माध्यम से ही घोषणा कराई जा सकती है, धारा 15 के तहत तहसीलदार अपने स्तर पर घोषणा करने या खातेदारी अंकित करने के लिए विधिक रुप से सक्षम नहीं है। वादीगण के पक्ष में ये अंकन गलत आधार पर किए गए हैं जो बाद में रिपीट होते रहे हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में गलत प्रकार से तनकी संख्या–1 को निर्णित किया है और तनकी संख्या–1 के निर्णय को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी/रैस्पो0 के पक्ष में

निर्णित करने में तथा यह अभिमत पारित करने में कि वादीगण विधिक प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं, किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है।

8– यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी दो गॉवों ऐदलपुर व मान्नोज की सीमाओं पर स्थित है और जहॉ दो गॉवों की सीमाओं का विवाद हो वहॉ जिला कलक्टर के स्तर पर भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा पैमाइश कराया जा कर दुरुस्ती किया जाना उचित है जब कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें भू प्रबन्ध कर्मियों को शामिल नहीं किया गया है। किसी भी गॉव का साबिक व हाल रकबा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और रिपोर्ट में इस बिन्दु को भी अंकित नहीं किया गया है कि दोनों गॉवों का साबिक व हाल रकबा कितना–कितना रहा है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय दिनांक 07–10–2006 पारित किया गया है वह समर्थन योग्य नहीं है, इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या–2 में विस्तार से विवेचन करते हुये अपना अभिमत पारित किया है और अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–2 के बारे में पारित निर्णय को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। वादीगण के पक्ष में जो अंकन आये हैं वे सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश से नहीं आये हैं चूॅकि धारा 15 के तहत तहसीलदार को इस प्रकार के अंकन करने के अधिकार नहीं रहे हैं। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–2 के पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है।

9– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य